निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1942 (श0)

(सं0 पटना 634) पटना, बुधवार, 23 सितम्बर 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर 2020

सं० एल0जी0-01-19/2020/5368/लेज—भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल **दिनांक 23 सितम्बर, 2020** को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव ।

(बिहार अध्यादेश संख्या–12, 2020)

बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020)

में संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

प्रस्तावनाः– चूँकि बिहार विधान मंडल सत्र में नहीं है,

और चूँकि, बिहार राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिसके कारण बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने हेतु उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड– (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।– (1) यह अध्यादेश बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2.. **बिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 का संशोधन** – बिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 की उप धारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

> ''(2) उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष पॉच वर्षों की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे एवं अधिकतम दो कालावधि के लिए नियुक्त होने के शर्त्त के साथ पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगें।''

पटना **फागू चौहान,**
दिनांक–23 सितम्बर 2020 **बिहार राज्यपाल।**

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन मैने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना **फागू चौहान,**
दिनांक–23 सितम्बर 2020 **बिहार राज्यपाल।**

---

23 सितम्बर 2020

सं० एल0जी0–01–19/2020/5369/लेज—बिहार राज्यपाल द्वारा **dated–23rd September, 2020** को प्रख्यापित यह **बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–12, 2020)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव।

(BIHAR ORDINANCE NO.-12, 2020)
THE BIHAR STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020
AN
Ordinance

To amend the The Bihar State Higher Education Council Act 2018 (Bihar Act 01, 2020)

Preamble-WHEREAS, The Legislature of the state of Bihar in not in session,

AND WHEREAS, The Governor of Bihar is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend The Bihar State Higher Education Council Act 2018 (Bihar Act 01, 2020), in the manner hereinafter appearing;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of constitution of India, The Governor of Bihar, is pleased to promulgate the following ordinance :-

1. ***Short title, extent and commencement.—*** (1) This Ordinance may be called the Bihar State Higher Education Council (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2. ***Amendment of Section 6 of Bihar Act 01, 2020***.— Sub section (2) of section 6 of The Bihar State Higher Education Council Act 2018 (Bihar Act 01, 2020) shall be substituted by the following :-

" (2) The appointment to the post of Vice Chairman shall be made by the State Government. The Vice-Chairman shall hold his office for a period of five years and shall be eligible for reappointment subject to maximum of two terms."

Patna
Dated 23rd September 2020

PHAGU CHAUHAN,
Governor of Bihar.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 634-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in